न्यायालय कलेक्टर, जिला–छतरपुर (म0प्र0)

छतरपुर, दिनांक 15/12/2020

// आदेश //

प्रकरण क्रं0 0002/अ–59/व्यपवर्तन/2020–21, –संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 **2–ए खनिज** भवन, अरेरा हिल्स भोपाल के पत्र क्रं0 4450/भौमिकी/ नीलामी/न.क्रं.4/2020–21, भोपाल **दिनांक** 24.05.2020 द्वारा ग्राम कसेरा तहसील बकस्वाहा में स्थित राजस्व भूमि को ऐस्सेल माईनिंग एण्ड **इण्डस्ट्रीज** लिमिटेड के पक्ष में वन व्यपवर्तन हेतु आरक्षित किये जाने के अनुरोध के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय **अधिकारी**, बिजावर के प्रस्ताव अनुसार न्यायालयीन आदेश क्रं0 0001/अ–59/व्यपवर्तन/2020–21 दिनांक 07.08.2020 द्वारा ग्राम कसेरा प0ह0 बीरमपुरा, तहसील बकस्वाहा, स्थित भूमि खसरा नं0 13/1 रकवा 484.346 हे. में से आवेदित रकवा 382.131 हे. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत मेसर्स आदित्य बिड़ला ग्रुप की कम्पनी ऐस्सेल माईनिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बन्दर डायमण्ड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सगौरिया तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर स्थित वन भूमि के बदले में Compensatory afforsatation वन विभाग द्वारा किये जाने हेतु आरक्षित की गई थी।

चूंकि वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक मा.चि./2020/5041, दिनांक 04.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जी.पी.एस. रीडिंग को गूगल अर्थ पर अंकित किये जाने पर क्षेत्र का अधिकांश रकवा वनभूमि पाया गया एवं आरक्षित क्षेत्र आदेश दिनांक 07.08.2020 के माध्यम से Compensatory afforsatation हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल भी लगभग 214.000 हे. है जो व्यपवर्तित किये जाने वाली भूमि 382.131 हे. के बराबर नहीं हैं। अतः क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नवीन राजस्व भूमि प्रस्ताव दिये जाने का अनुरोध किया गया।

वन मण्डलाधिकारी, छतरपुर के पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिजावर के माध्यम से तहसीलदार बकस्वाहा का जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2020 प्राप्त।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) से उक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में विधिवत नवीन जांच प्रस्ताव सहित अभिमत प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला छतपुर के प्रस्ताव क्रं0 913/अविअ/2020,दिनांक 15.12.2020 से आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी माईनिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के आवेदन अनुसार ग्राम कसेरा स्थित खसरा नं0 364/1, 13/1, 26/1 राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन बंजर मद में दर्ज हैं। भूमि खसरा नं0 13/1 में 84.000 हे. 26/1 में से 150.000 हे. एवं भूमि खसरा नं0 364/1 में से 148.131 भूमि को आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ हैं।

अतः वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर के प्रस्ताव दिनांक 04.12.2020 के अनुक्रम में एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिजावर के प्रस्ताव से सहमत होते हुये न्यायालयीन आदेश क्रं0 0001/अ–59/व्यपवर्तन/2020–21 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 को संशोधित करते हुये ग्राम कसेरा स्थित खसरा नं0 13/1 रकवा 382.131 हे. के स्थान पर खसरा नं0 13/1 में से 84.000 हे., खसरा नं0 26/1 में से 150.000 एवं खसरा नं0 364/1 में से 148.131 हे. कुल रकवा 382.131 हे. भूमि को आदित्य बिड़ला ग्रुप की कम्पनी ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंदर डायमण्ड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सगौरिया तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर स्थित वन भूमि के बदले में Compensatory afforsatation म0प्र0 शासन वन विभाग द्वारा किये जाने हेतु आरक्षित की जाती हैं।

15/12/2020

(शीलेन्द्र सिंह)
कलेक्टर,
जिला–छतरपुर (म0प्र0)

पृ.प्र.क्रं.0002/अ–59/व्यपवर्तन/2020–21, छतरपुर, दिनांक – 15/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. **सचिव, म.प्र. शासन**, खनिज, साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. **अतिरिक्त मुख्य प्रधान**, वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. **आयुक्त सागर सांगर**, सागर ।
4. **संचालक, भौमिकी** तथा खनिकर्म म0प्र0, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. **वनमण्डलाधिकारी**, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. **नजूल अधिकारी**, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
7. **अनुविभागीय अधिकारी** (रा0), बिजावर जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. **तहसीलदार**, तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
9. **खनि अधिकारी**, खनि शाखा, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. **अधिकृत प्रतिनिधि**, मेसर्स एक्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई की ओर सूचनार्थ।

15/12/2020

कलेक्टर,
जिला–छतरपुर (म0प्र0)